



राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार (DDW Udaipur)
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन
स्वास्थ्य भवन, टीबी सेनिटोरियम के पास
P.O. बड़ी, उदयपुर

CIN: U24232RJ2011SGC035067

GSTIN-08AAFCR2824M1Z3

Website: <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in>

क्रमांक : DDW / 18-19 / 176

दिनांक :— 26.07.2018


खुली निविदा सूचना


कम्प्यूटर मय ऑपरेटर हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के 07 माह के लिए

कार्यालय का नाम जिला औषधि भण्डार उदयपुर हेतु कम्प्यूटर मय ऑपरेटर सेवा कार्य की दर संविदा हेतु स्थानीय प्रतिष्ठित एवं अनुभवी सेवा प्रदाता संस्थानों / फर्मों से दर संविदा (Rate contract) हेतु मुहरबंद निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं:-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित मूल्य (रु.)	बोली प्रतिभूति (Bid security)(रु.)	निविदा शुल्क (रु.)
1.	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर सेवा	2.75 लाख	5500	500.00

निविदा प्राप्त करने हेतु निर्धारित निविदा शुल्क राशि रु. 500/- का डिमाण्ड ड्राप्ट/ बैंकर चैक राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि., जयपुर के पक्ष में बनवाकर दिनांक 10/08/18 को अपराह्न 12.00 बजे तक जिला औषधि भण्डार गृह उदयपुर से प्राप्त कर सकते हैं या निगम की बेबसाइट <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> को ही अपराह्न 3.00 बजे तक जिला औषधि भण्डार गृह उदयपुर में जमा कराए जा सकते हैं। प्राप्त निविदाएँ उपस्थित निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 10.08.18 को सायं 4.00 बजे खोली जाएंगी।


 प्रभारी अधिकारी जिला औषधि भण्डार
 DPC OFFICER, RMSA, UDAIPUR
 उदयपुर



अनुमानित लागत ₹ 2,75 लाख
निविदा प्रधन शुल्क ₹ 600/-
बोली प्रतिशूलि (Bid security) ₹ 5,500/-

अंतिम तिथि- 10/8/18 समय- 3.00 PM

तकनीकी निविदा प्रपत्र
कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की दर संविदा हेतु निविदा प्रस्ताव प्रपत्र

1. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के लिए निविदा प्रस्ताव:-
2. निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम,
3. डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाइल व ई-मेल सहित एवं पेन नम्बर
4. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यवित का नाम एवं मोबाइल नम्बर
5. किसकी संबोधित किया गया - प्रभारी अधिकारी, जिला / मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह ३८२५४३
6. निविदा प्रस्ताव सूचना संदर्भ क्रमांक 176 दिनांक 26/07/18
7. हम प्रभारी अधिकारी, जिला / मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह ३८२५४३ द्वारा जारी की गई निविदा प्रस्ताव सूचना संख्या 176 दिनांक 26/07/18 में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त सीमित निविदा प्रस्ताव सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
8. सीमित निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' में जॉब आधारित कम्प्यूटर मय ऑपरेटर सेवा कार्य संबंधी दरें अंकित हैं। वस्तु एवं सेवाकार (GST) की दरें पृथक् से दर्शाई जानी हैं।
9. जॉब आधारित कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा इकाई की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग के 24 धंडे की अवधि में कर दी जाएगी। जिला / मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कभी या वृद्धि की जा सकती है। जॉब आधारित कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा कार्य हेतु प्रपत्र 'ब' में दी गई दरें वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के १/२ माह (१५८८५४३ से ८१८८५४३) के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से ३ माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

1. ପ୍ରକାଶିତ କାହାର ଦେଖିଲୁଛା?
2. କେବଳ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ମାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲୁଛା?
3. କିମ୍ବା କିମ୍ବା ମାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲୁଛା?
4. କିମ୍ବା କିମ୍ବା ମାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲୁଛା?
5. କିମ୍ବା କିମ୍ବା ମାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲୁଛା?
6. କିମ୍ବା କିମ୍ବା ମାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲୁଛା?
7. କିମ୍ବା କିମ୍ବା ମାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲୁଛା?
8. କିମ୍ବା କିମ୍ବା ମାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲୁଛା?

ପ୍ରକାଶିତ କିମ୍ବା ମାତ୍ର

1. ପ୍ରକାଶିତ କିମ୍ବା ମାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲୁଛା?
 2. କିମ୍ବା କିମ୍ବା ମାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲୁଛା?
 3. କିମ୍ବା କିମ୍ବା ମାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲୁଛା?
 4. କିମ୍ବା କିମ୍ବା ମାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲୁଛା?
 5. କିମ୍ବା କିମ୍ବା ମାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲୁଛା?
 6. କିମ୍ବା କିମ୍ବା ମାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲୁଛା?
 7. କିମ୍ବା କିମ୍ବା ମାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲୁଛା?
 8. କିମ୍ବା କିମ୍ବା ମାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲୁଛା?
- ପ୍ରକାଶିତ କିମ୍ବା ମାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲୁଛା?

9. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा समय पर व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में, अनुपस्थित दिनों का बेतन आनुपातिक रूप से काट लिया जाएगा, विशेष परिस्थितियों में यदि अन्यत्र कही से व्यक्तियों को लेकर कार्य करवाया जाता है तो इस हेतु किये गये अधिक भुगतान की बसूली ठेकेदार से की जाएगी।
10. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि को जब कभी भी वार्ता हेतु कार्यालय बुलाया जाए तो उसे उपस्थित होना होगा।
11. उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों में से यदि किसी ने कोई अनियमितता की तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था की होगी।
12. सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को (Performance Security) जरिये डिमार्ड ड्राफ्ट या बैंक पे-आर्डर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि. के नाम जो जयपुर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति (bid Security) के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समरत कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि रिस्ते में यह पूर्ण रूप से /अंशतः जब्त की जा सकेगी।
13. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
14. सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व सोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके।
15. बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता, सेवा प्रदाता को उपस्थिति के आधार पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल जिला/मेडिकल कॉर्पोरेशन औषधि भण्डार गृह ३८४ अड्डे पर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि. (जिला/मेडिकल कॉर्पोरेशन-औषधि भण्डार गृह का नाम ३८४ अड्डे) GST No ०८४AFCR २४ M.D.Z.३ के नाम प्रस्तुत करने होंगे। निगम द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता/सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT द्वारा किया जाएगा एवं अनुपस्थिति के दिवसों हेतु आनुपातिक कटौती की जाएगी।
16. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर को प्रपत्र “ब” के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने तथा उनके ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान को संबंधित विभागों में निर्धारित तिथि तक जमा कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। यदि अंशदान विलम्ब से जमा कराया जाता है तो निगम द्वारा किसी भी प्रकार के विलम्ब शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों एवं ई.पी.एफ./ई.एस.आई. की दरों में वृद्धि की जाती है तो कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की मजदूरी का भुगतान संशोधित दरों के आधार पर किया जाएगा।

23. यदि कम्प्यूटर सिस्टम इस विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जाएगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त (Repudiate) किया जा सकेगा।
24. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फिटिंग की व्यवस्था जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह ~~उद्यमद्वारा~~ की जाएगी। जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह ~~उद्यमद्वारा~~ यह सुविधा भी प्रदान करेगा कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सकें।
25. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह ~~उद्यमद्वारा~~ की नहीं होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
26. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवाएं जारी रखनी होगी। किसी भी माह में 04 कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जाएगा। यह भी पूर्व सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/- रुपये की कटौती की जाएगी।
27. कम्प्यूटर सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
28. यदि उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर किसी कारण सेवाएं प्रदान नहीं करता है तो सफल निविदादाता को जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह ~~उद्यमद्वारा~~ सूचित करने पर 07 दिवस में अन्य व्यक्ति की सेवाएं उपलब्ध करानी होगी अन्यथा सफल निविदादाता पर उचित पैनलटी लगाए जाने का अधिकार जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह ~~उद्यमद्वारा~~ का होगा।
29. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
30. यदि बाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।
31. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है:-

Topic	Content
A. Computer Specifications	1. At higher speed, RAM 2/4 GB or more, Hard Disk 250 GB or more, LAN Card, CD/DVD writer, Standard Keyboard, Mouse, Standard Serial, Parallel or USB port, Optical Disc Reader, Anti Virus, Multimedial MS Office, Response time of software license will be taken by the distributor.
B. Printer	2. Monochrome printer should be standard, should have enough power, The resolution should be high, with 30 minutes better printing speed.
C. UPS	3. Online UPS for above Computer and printer taken in case of power failure.
D. Laser printer	4. Laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Dot Matrix/Laser printer with speed 15 ppm or more. Dot Matrix and white laser printer with speed 15 ppm or more.
E. Projector	5. Projector with resolution 1024x768 pixels and contrast ratio 200:1, with zoom lens and remote control.
F. Scanner	6. Scanner with resolution 1200x1200 dpi, with ADF and 250 sheet capacity, with 24 bit color and grayscale, with 1200 dpi resolution.
G. Toner	7. Toner for printer with 1500 pages per cartridge.
H. Inkjet	8. Inkjet printer with resolution 1200x1200 dpi, with 24 bit color and grayscale, with 1200 dpi resolution.
I. Headphone	9. Headphone with good sound quality and clear bass.
J. Microphone	10. Microphone with good sound quality and clear bass.
K. Camera	11. Camera with good resolution and good battery life.
L. Projector screen	12. Projector screen with size 1.5m x 2.0m.
M. Projector stand	13. Projector stand with height 1.5m.
N. Projector cable	14. Projector cable with length 10m.
O. Projector bulb	15. Projector bulb with 2000 hours.
P. Projector accessories	16. Projector accessories with projector bag, projector stand, projector bulb, projector cable, projector screen, projector bulb, projector stand, projector bag, projector accessories.

—**ପାତ୍ର**—**ପାତ୍ର** ଫରେବିଲେ ମୁଁ ଆଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଖିଲୁକୁ

31. सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –
- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
 - (ख) सूचना का ऐसा हुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
 - (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
 - (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के अशाय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
 - (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगा।
 - (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
 - (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
 - (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

32. हित का विरोध –

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–
- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यवितरण वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे

2012 ዓ.ም. ቀን 4 አዲስ ልማት መተዳደሪያ, ማኅበር የኢትዮጵያ ስነዎች ተስፋይ

Multiple

38. **የኢትዮጵያ ተቋማዊ መቀበለ እና ተቋማዊ ስነዎች**

11

(6)

କାନ୍ତିର ପାଦରେ ମହାଶୁଣୀ ଏହାର ପାଦରେ
କାନ୍ତିର ପାଦରେ ମହାଶୁଣୀ ଏହାର ପାଦରେ

(上)

和 日 月 水 火 土 金 木 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 (6)

(3) *திருவாறை பல்லி வினாக்கள்*

(3)

—和正和班的和和和

ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବିନ୍ଦମ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବିନ୍ଦମ କରିବାକୁ ପାଇଁ

जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यक्ति है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिनक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अहंता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-र) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की धोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

- (2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अहंता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
- (3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।
- (4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यक्ति है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।
- (5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अहंता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(2) ஏழாண்டு நிலையில் பார்வையிறான குடும்பத்தின் முறைகளை அறிய விரும்புகிறேன்.

(1) ஏழாண்டு நிலையில் பார்வையிறான குடும்பத்தின் முறைகளை அறிய விரும்புகிறேன்.

(2) குடியிருப்பு விலை கணக்கை எடுத்து விடுவது என்றால், முதலாம் விலை எடுத்து விடுவது, இரண்டாம் விலை எடுத்து விடுவது, மூன்றாம் விலை எடுத்து விடுவது ஆகிய ஒரே ஒரே நிலையில் விலை விடுவது என்று அறியப்படுகிறது.

(3) குடியிருப்பு விலை கணக்கை எடுத்து விடுவது என்றால், முதலாம் விலை எடுத்து விடுவது, இரண்டாம் விலை எடுத்து விடுவது, மூன்றாம் விலை எடுத்து விடுவது ஆகிய ஒரே ஒரே நிலையில் விலை விடுவது என்று அறியப்படுகிறது.

34. ማቅረብ በኋላ - (1) ከተማውን ዓላማ የሚከተሉት ማስቀመጥ ተችል፡፡

(1) የሚከተሉት ማስቀመጥ ተችል፡፡

(2) የሚከተሉት ማስቀመጥ ተችል፡፡

(3) የሚከተሉት ማስቀመጥ ተችል፡፡

(4) የሚከተሉት ማስቀመጥ ተችል፡፡

(5) የሚከተሉት ማስቀመጥ ተችል፡፡

(6) የሚከተሉት ማስቀመጥ ተችል፡፡

(7) የሚከተሉት ማስቀመጥ ተችል፡፡

(8) የሚከተሉት (1) ማስቀመጥ (4) የሚከተሉት ማስቀመጥ ተችል፡፡

38. የሚከተሉት (1) ማስቀመጥ (4) የሚከተሉት ማስቀመጥ ተችል፡፡

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य/ सेवा इकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्तित सेवा इकाईयों के सतोष प्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम/ कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लभित नहीं है स्था इस विषयात्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।


निविदादाता के हस्ताक्षर

REPRODUCTION OR RESALE OF THIS IMAGE IS ILLEGAL UNLESS AUTHORIZED BY THE PHOTOGRAPHER

PHOTOGRAPH BY AND OWNED BY

© 1988

- (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समर्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
- (ख) मामले से संबंधित वस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित वस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के आवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।


 प्रमोद कुमार सिंह
 जिला / मैजिस्ट्रेट वर्ग सेवा अधिकारी
 सप्लाइ मूहूर्त दस्तावेज़ पुर

मैंने / हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं / हम उपर्युक्त समर्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा / रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Computer With Monitor											
(Higher Slabbed)											
Operator											
1.	Computer With Monitor	11	12	10	9	8	7	6	5	4	3
	Subtotal	(10+11)	(8+9+10)	GST ₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹

18, khk

Digitized by srujanika@gmail.com

- 115h b Hill 145 fch